

84/12

भारतीय नैऋत्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25,000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.

25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 980894



लेख-पत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार : कृषि
2. थार्ड परगना : सदर
3. मोहल्ला : जलालपुर घोसी, परगना न
तहसील-सदर, इलाहाबाद।
4. सम्पत्ति का विवरण : आराजी नं०-98नि० रकबा 0.2090 हे०
व आराजी नं० 102नि० रकबा 0.1020 हे०
हे० जुमला 2 गाटा कुल रकबा 0.3110
हे० अर्थात् 3110 वर्गमीटर कुल
कुल सोलह आना सप्त सप्त सप्त
बय किया।

इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 980895

- 2 JAN 2012

सहायक
DSFY

S

(2)

5. मापन की इकाई : वर्गमीटर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : 3110 वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति : नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार : कृषि
10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति में) : X
11. कुल आच्छादित क्षेत्रफल : X

रहस्यपूर्ण

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 980896

5-2 JAN 2012

इलाहाबाद
DSFT

9

(3)

- | | | | |
|-----|-------------------------------|---|---|
| 12. | स्थित-फिनिशड/सेमीफिनिशड/अन्य | : | X |
| 13. | पेड़ों का मूल्यांकन | : | X |
| 14. | बोरिंग/कुँआ/अन्य | : | X |
| 15. | निर्मित क्षेत्रफल | : | X |
| 16. | निर्माण का वर्ष | : | X |
| 17. | सहकारी आवास समिति के सदस्य से | : | X |
| | सम्बन्धित हों/नहीं | | |

इलाहाबाद

[Handwritten signature]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

भारत
सत्यमेव जयते
INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 980897

(4)

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 18. प्रतिफल की धनराशि | : मुबलिंग 8,10,000 /- रुपया |
| 19. सरकारी मालियत | : मुबलिंग 19,25,000 /- रुपया |
| 20. स्टाम्प शुल्क | : मुबलिंग 1,34,800 /- रुपया |

चौहद्दी आराजी संख्या 98मि0:-

- | | |
|--------|-----------------|
| पूरब | - आराजी नं0 100 |
| पश्चिम | - आराजी नं0 106 |
| उत्तर | - आराजी नं0 99 |
| दक्षिण | - आराजी नं0 105 |

रहिन कदम

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

Z 531179

30 DEC 2011

(5)

चौहददी आराजी संख्या 102मि0:-

- | | |
|--------|-----------------|
| पूरब | - आराजी नं0 103 |
| पश्चिम | - आराजी नं0 101 |
| उत्तर | - आराजी नं0 99 |
| दक्षिण | - आराजी नं0 104 |

रिसम अदालत

[Handwritten signature]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते
INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 531562

6 3 JAN 2012

पट्टे

इलाहाबाद VEN

(6)

**** विक्रय-पत्र ****

रेहान अहमद पुत्र शकील अहमद निवासी ग्राम जलालपुर घोसी परगना व
तहसील-सदर, जिला-इलाहाबाद।

.....प्रथमपक्ष/विक्रेता

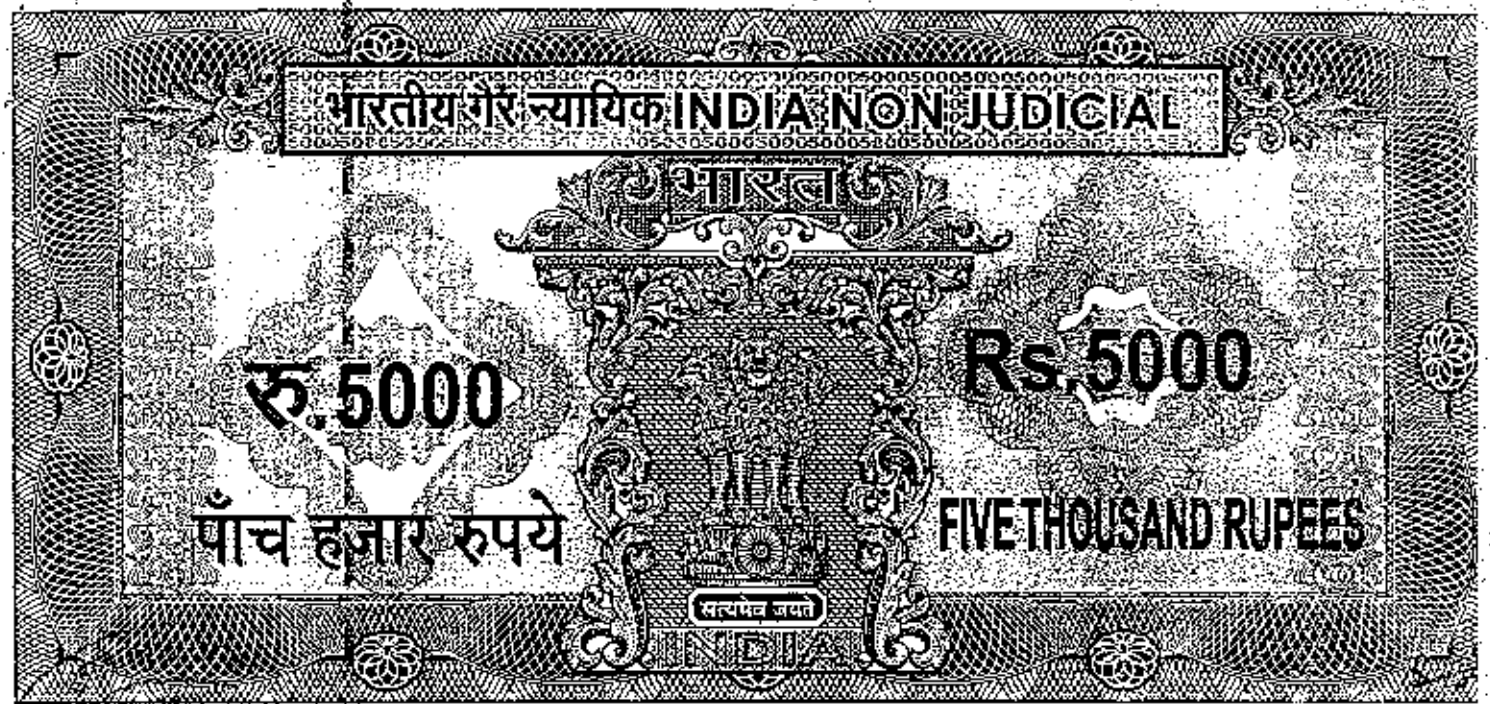
व

इन्नोवेटर्स डिजिटल ऐड्स प्रा० लि० 91, कटघर रोड, इलाहाबाद द्वारा
डायरेक्टर मयंक जायसवाल पुत्र डा० हरिश्चन्द्र जायसवाल निवासी 93
कटघर रोड, परगना व तहसील-सदर, जिला-इलाहाबाद

.....द्वितीयपक्ष/क्रेता

जोकि भूमि निम्नलिखित जिसका पूरा विवरण इस विलेख के अन्त में दिया
गया है कर्त प्रथमपक्ष/विक्रेता तनहा मालिक काबिज व दखील है। प्रथमपक्ष/विक्रेता
का नाम भूराजस्थ अभिलेखों में अंकित है और प्रथमपक्ष/विक्रेता जायदाद
निम्नलिखित को विक्रय करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। जायदाद निम्नलिखित
वर्तमान समय में पाक साफ है और हर प्रकार के बार व भार व प्रभार से सर्वथा मुक्त

2/11/2012



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 531180

30 DEC 2011

(7)

है जो आज तक न तो किसी के हक में विक्रय किया गया है और न ही विक्रय का अनुबन्ध किया गया है और न ही कहीं रहन अथवा बन्धक ही रखा गया है और उक्त भूमि बन्धक, ट्रस्ट, नजूल या पट्टे की भूमि नहीं है।

विदित हो कि प्रथमपक्ष/विक्रेता को इस समय अपनी निजी जरूरत व पारिवारिक खर्च खानगी हेतु रुपये की अत्यन्त आवश्यकता है और सिवाय भूमि निम्नलिखित को बेचे, रुपये मिलने की दूसरी सूरत नजर नहीं आ रही है, इसलिए प्रथमपक्ष/विक्रेता ने भूमि निम्नलिखित को बेचने की चर्चा लोगों से किया, चर्चा सुनकर भूमि निम्नलिखित को क्रय करने हेतु कुछ लोगों ने दाम भी लगाया, किन्तु सबसे अधिक कीमत मुबलिय 8,10,000/- रुपया (आठ लाख दस हजार रुपये) द्वितीयपक्ष/क्रेता ने लगाया। द्वितीयपक्ष/क्रेता द्वारा भूमि निम्नलिखित की लगायी गयी कीमत एक उचित व बाजार कीमत है और इससे अधिक कीमत कोई अन्य

28/12/2011

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

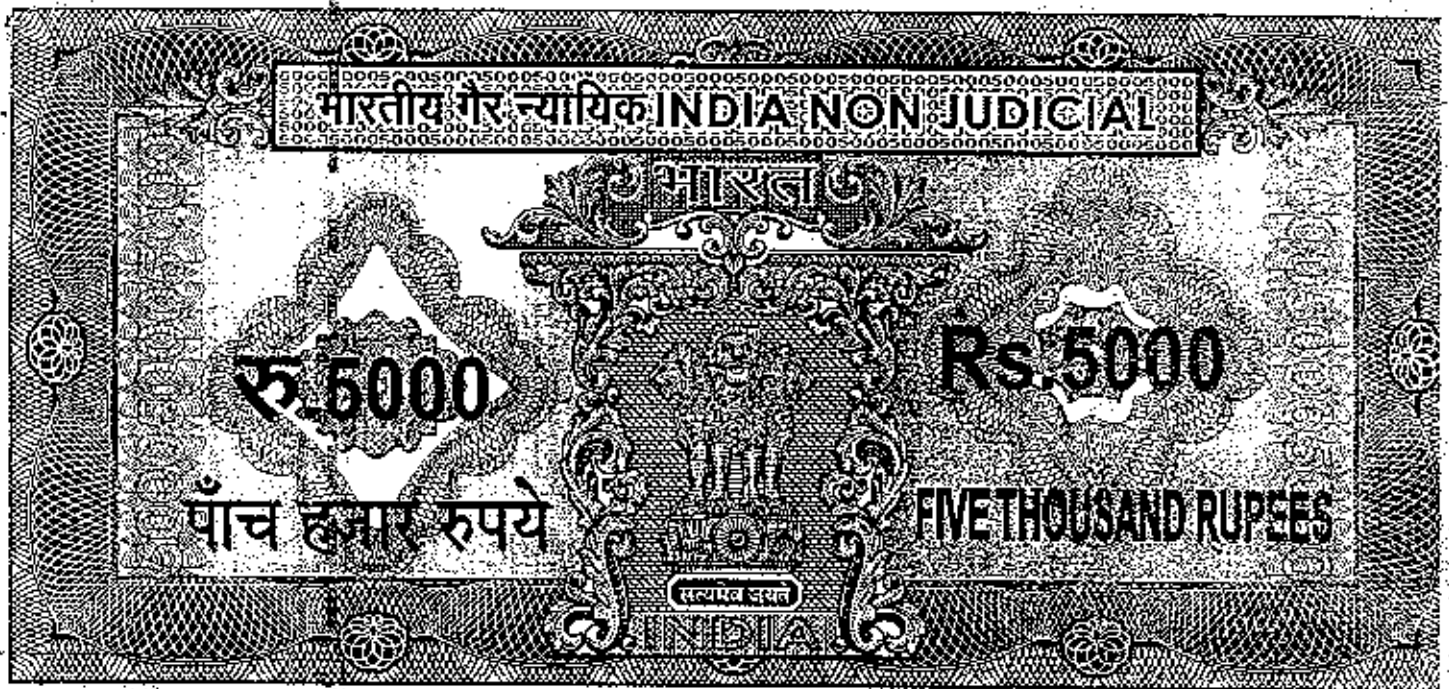
27 DEC 2011

Z 554144

(8)

व्यक्ति देने को तैयार नहीं है। इसलिए मुझ प्रथमपक्ष/विक्रेता को भूमि निम्नलिखित को द्वितीयपक्ष/क्रेता के हक में विक्रय करना स्वीकार एवं मंजूर है।

अतः प्रथमपक्ष/विक्रेता खूब सोच-समझकर और अपने भलाई चाहने वालों से राय गसबिसा करके स्वस्थ मन व बुद्धि से बिना किसी नाजायज डर व दवाव के राजी व खुशी से भूमि निम्नलिखित जिसका पूरा विवरण इस विलेख के नीचे दिया गया है, को बयज मुबलिय 8,10,000/- रुपया (आठ लाख दस हजार रुपया) जिसका आधा मुबलिय 4,05,000/- रुपया (चार लाख पाँच हजार रुपया) होता है में बदस्त व बहक क्रेता द्वितीयपक्ष/क्रेता इन्नोबेटर्स डिजिटल ऐड्स प्रा० लि० 91, कटघर रोड, इलाहाबाद द्वारा डायरेक्टर मयंक जायसवाल पुत्र डा० हरिश्चन्द्र जायसवाल निवासी 93 कटघर रोड, परगना व तहसील-सदर, जिला-इलाहाबाद के हक व अधिकार में विक्रय कर दिया और कुल विक्रय मूल्य मुबलिय 8,10,000/- रुपया जरिये बैंक ड्राफ्ट नं० 006193 दिनांकित 05.01.2012



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 554145

(9)

रकम मु० 6,00,000/- रूपया चार्टर्ड बैंक सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइन्स इलाहाबाद व मु० 2,10,000/- रूपया नकद प्राप्त हो चुका है, अब बाबत बयदाश एक भी पैसा मुझ प्रथमपक्ष/विक्रेता को क्रेता से मिलना शेष नहीं रहा। अब बवजेह विक्रय कर देने विक्रीत सम्पत्ति में कोई हक व हिस्सा मुझ प्रथमपक्ष/विक्रेता या मेरे वारिसानों व कायम भुकामानों का नहीं रह गया है।

विदित हो कि हम प्रथमपक्ष/विक्रेता ने आज की ही तारीख में विक्रीत सम्पत्ति से अपना कब्जा व दखल वाकई रूप से उठाकर उस पर क्रेता को बहैसियत स्वामी के काबिज व दखील करा दिया। आज से क्रेता जायदाद मुबैया का पूर्ण रूपेण स्वामी हो गया, अब उसे अधिकार है कि वह विक्रीत सम्पत्ति को जिस प्रकार से चाहे इस्तेमाल करें, उपयोग व उपभोग करें, सरकारी कागजात व राजस्व अभिलेखों में अपना नाम बहैसियत स्वामी के रूप में प्रथमपक्ष के स्थान पर दर्ज करा लेवे इसमें मुझ प्रथमपक्ष/विक्रेता या मेरे वारिसान को कोई उज्र व आपत्ति नहीं होगी।

23/11/2017



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

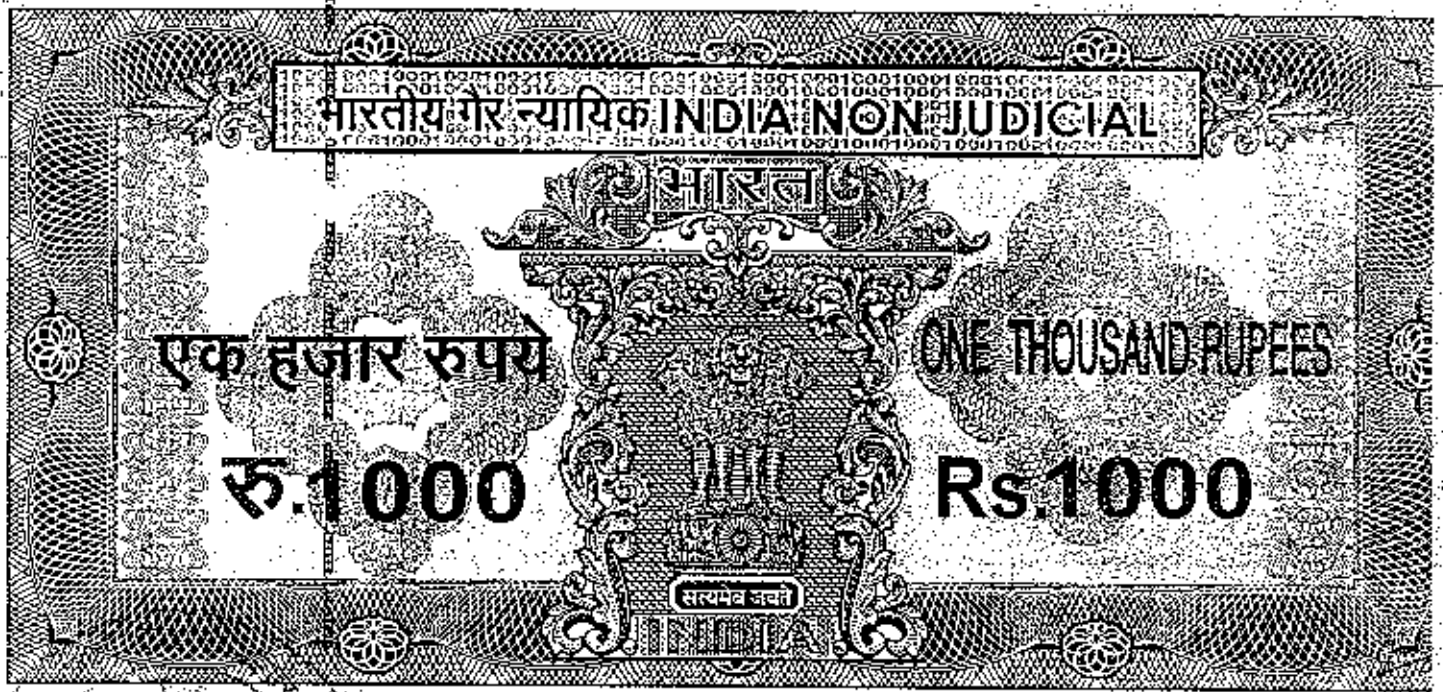
Z 554146

(10)

विदित हो कि भूमि निम्नलिखित में मुझ प्रथमपक्ष/विक्रेता का कोई स्वामित्व दोष या त्रुटि या विवाद नहीं है फिर भी किसी अन्य व्यक्ति के दावेदारी के कारण भूमि निम्नलिखित का कुल या जुज भाग क्रेता/द्वितीयपक्ष या उसके विधिक प्रतिनिधियों के हक व कब्जा से निकल जावे जिससे उन्हें नुकसान होवे तो ऐसी स्थिति में द्वितीयपक्ष/क्रेता या उसके विधिक प्रतिनिधियों को अधिकार होगा कि वे अपना कुल नुकसान भय खर्चा व खिसारा के मेरी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार से चाहे वसूल कर लेवे इसमें मैं प्रथमपक्ष/विक्रेता या मेरे वारिसानों को कोई उत्तर व आपत्ति न है और नहीं भविष्य में होगी।

अतः यह विक्रय पत्र हम प्रथमपक्ष/विक्रेता बहक द्वितीयपक्ष/क्रेता के हक व अधिकार में लिख कर पंजीकृत करा दिया कि प्रमाण रहे तथा समय पर काम आवे।

रहीब नन्द



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु. 1000

Rs. 1000

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 699279

30 DEC 2011

(11)

विवरण भूमि निम्नलिखित

वाके मौजा जलालपुर घोसी परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद की भूमिधरी
आराजी नं०-९८मि० रकबा ०.२०९० हे० व आराजी नं० १०२मि० रकबा ०.१०२० हे० जुमला २
गाटा कुल रकबा ०.३११० हे० अर्थात् ३११० वर्गमीटर कुल का कुल सोलह आना अपना
सम्पूर्ण हिसाब बय किया जिसकी चौहददी संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार निम्नवत्

९८ मि - १२०५०
१०२ मि - ११०२०
१३११० x १६४

रहाना अहमद



K 692914

(12)

चौहद्दी आराजी संख्या 98मि0:-

- | | |
|---------|-----------------|
| पूरुब | - आराजी नं0 100 |
| पूरुबिम | - आराजी नं0 106 |
| उत्तर | - आराजी नं0 99 |
| दक्षिण | - आराजी नं0 105 |

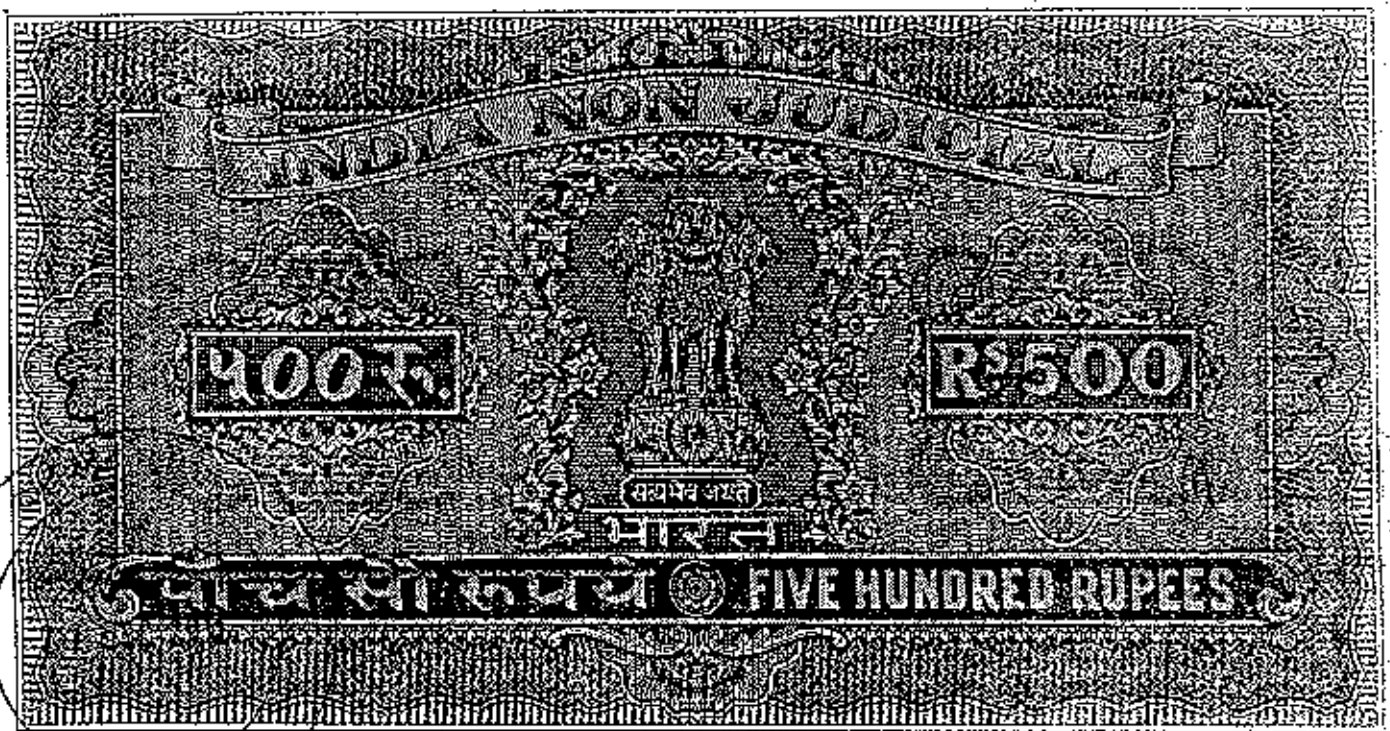
रहम अहमद



(14)

विदित हो कि विक्रित सम्पत्ति अर्द्धनगरीय क्षेत्र में स्थित है जो राष्ट्रीय मार्ग या जनपदीय मार्ग या लिंक/चकमार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि कृषि भूमि है और क्रेता कृषि प्रयोजन हेतु क्रय कर रहा है। जायदाद मुबैया पर कोई निर्माण हुआ, वृक्ष इत्यादि नहीं है तथा उसके 200 मीटर त्रिज्या में कोई व्यवसायिक कार्य नहीं हो रहा है और न ही जायदाद मुबैया आवासीय है। जायदाद मुबैया की जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सरकारी मालियत प्रथम 500

အိန္ဒိယနိုင်ငံ



उत्तर प्रदेश JETAR PRADESH

426025

(15)

वर्गमीटर पर 1,25,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से मु0 6,25,000/- रुपया व अग्रिम 500 वर्गमीटर पर 70,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से मु0 3,50,000/- रुपया व शेष 2110 वर्गमीटर की मालियत 45,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से मु0 9,49,500/- रुपया होता है। इस प्रकार जुमला मालियत 19,24,500/- रुपया होती है सुविधानुसार 19,25,000/- रुपये पर मु0 1,34,800/- रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

22/10/2024

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 885259

(16)

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा-32ए के अन्तर्गत अंगुलियों का चिन्ह
रेहान अहमद (दिक्रेता)

बायां हाथ		दायां हाथ
	कनिष्ठा	
	अनामिका	
	मध्यमा	
	तर्जनी	
	अंगुष्ठा	

रेहान अहमद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 885260

(17)

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा-32ए के अन्तर्गत अंगुलियों का चिन्ह
मयंक जायसवाल (क्रेता)

बायां हाथ		दायां हाथ
	कनिष्ठा	
	अनामिका	
	मध्यमा	
	तर्जनी	
	अंगुष्ठा	

इ.स. २०२०

[Handwritten signature]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 885261

(18)

गवाहान:

- 1- Inayatullah S/o Siraj Ullah, Lalapur Ghazal
- 2- Vinay Shukla S/o Dr. G. K. Shukla 46/SB, Mahiya Road
George Town Alld.

मसविदाकर्ता - *H. P. Thakur* के०डी० त्रिपाठी, एडवोकेट

टाइपकर्ता - *M. N. Yadav* मन्नु यादव, कचेहरी, इलाहाबाद

दिनांक: 06.01.2012

रिजिस्ट्रार

289

4/1/12 100 40
दिथि मूल्य प्रायोजन

स्टाम्प क्रमांक का नाम 289 4/1/12 100 40 100 40

निवासी 289 4/1/12 100 40 100 40

स्टाम्प दिक्कत शिव मोहन अग्रहरी सिविल कोर्ट, इलाहाबाद

ला0 नं0 508 अवधि 31 मार्च तक हस्ताक्षर

आगत दिनांक 06/01/2012 को

वही सं 1 फिल्ल सं 1855

पृष्ठ सं 193 से 230 पर क्रमांक 84

रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

रजिस्ट्रार आधिकारी के हस्ताक्षर

289 4/1/12 100 40 100 40

प्रस0 के0 रिपार्टी (प्र0)

उपनिदेशांक सचिव

(द्वितीय) इलाहाबाद

6/1/2012

